

संख्या - 2974 / 1-10-2009-14(23) / 2004

प्रेषक,

एस० एन० शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त 2009.

विषय: राजस्व विभाग द्वारा क्य की गयी मोटरबोट की मरम्मत हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-201/आपदा-09, दिनांक 4 अगस्त, 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संभावित बाढ़ राहत कार्यों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय राजस्व विभाग द्वारा क्य की गयी मोटरबोट की मरम्मत हेतु ₹ 77,260/- (रूपये सतहत्तर हजार दो सौ साठ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाधीषक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में क्य की गयी मोटरबोट की मरम्मत पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त मोटर बोट की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यान्त्रिक डिवीजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर www.rahat.up.nic.in/rahat.2.html पर तत्काल फीड



कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 15 सितम्बर, 2009 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

6. व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।


भवदीय,

(एस० एन० शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या - 2974(1) / 1-10-2009-14(23) / 2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उ० प्र०, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, कुशीनगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6/11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2009-10की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।